मनोरोग के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एवं सुविधाएं

मनोचिकित्सा विभाग,
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी , लखनऊ
मार्च,2024

बौद्धिक दिव्यांगता (आई.डी./इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी), मानसिक बीमारी (एम.आई/मेन्टल इलनेस), सीखने की अक्षमता (एस.एल.डी.), और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों (ए.एस.डी,) के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । इसमें दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए सामान्य रूप से लागू अधिकार एवं सुविधाएं शामिल हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए नियम और पात्रता अलग-अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। यह पत्रक उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है । दिव्यांग केवल तभी इन अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हैं जब उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध 'दिव्यांगता' प्रमाण पत्र हैं।

'दिव्यांगता प्रमाणपत्र' क्या है?

यह सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है जो दिव्यांगता के स्तर का आकलन करता है । केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन, दिव्यांग को समुदाय में एकीकृत करने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध सुविधाओं, रियायतों और अधिकारों का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए कौन पात्र है?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्थितियों के लिए जारी किया जाता है जो दिव्यांगता का कारण बनने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट हैं। अधिकार और हकदारियां केवल उन लोगों को प्रदान की जाती हैं जिनके पास 40 प्रतिशत और उससे अधिक की दिव्यांगता है, जो बेंचमार्क दिव्यांगता के रूप में प्रमाणित हैं। कृपया यह जानने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि क्या आप पात्र हैं।

यू.डी.आईडी क्या है?

यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यू.डी.आईडी) कार्ड एक डिजिटल दिव्यांगता कार्ड है जो पूरे भारत में मान्य है। दिव्यांग वेबसाइट पर निम्नलिखित यू.डी.आईडी के लिए आवेदन कर सकता **www.swavlambancard.gov.in**

दिव्यांग के अधिकारों से संबंधित कानून

1. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016
2. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम अधिनियम, 1999।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम – 1992
4. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

मनोरोग के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लाभ:

सभी ग्राम पंचायतों/तालुका पंचायतों/ शहर /नगर पालिका/मेट्रो नगर निगमों और सरकारी विकास निगमों को अपने बजट का न्यूनतम 5% दिव्यांग कल्याण पर खर्च करने का प्रावधान है।

1. दिव्यांग पेंशन:

गरीबी रेखा से नीचे के दिव्यांग प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के पात्र हैं।

2. यात्रा रियायत:

40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है चाहे गंतव्य प्रदेश के बाहर हो 80% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग को अपने साथ एक सहयात्री मुफ्त में लाने की अनुमति भी होती है|

रेलवे द्वारा यात्रा के लिए, आईडी वाले व्यक्तियों और साथ वाले 1व्यक्ति के लिए यात्रा की श्रेणी के आधार पर अधिकतम 75% की रियायत उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया **www.irctchelp.in/railway-rules-handicapped/** पर जाएं। ऑनलाइन टिकटिंग सहित रियायतें प्राप्त करने के लिए संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय से विशिष्ट आईडी नंबर के साथ दिव्यांग के फोटो आईडी कार्ड का लाभ उठाया जा सकता है. कृपया भारत सरकार, रेल मंत्रालय के परिपत्र संख्या 2011/टीजी- 1/10/विकलांगों के लिए ई-टिकटिंग/पीटी.1 दिनांक 19/03/2015 देखें।

3. बीमा योजनाएं: निरामय योजना (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम):

आईडी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और कई दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। इसमें **ओपीडी उपचार, स्वास्थ्य जांच, सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन लागत ₹ एक लाख प्रति वर्ष तक शामिल है**, कुछ स्थितियों के लिए निर्दिष्ट कुछ सीमाओं के भीतर उपचार किसी भी अस्पताल से लिया जा सकता है। कोई पूर्व-बीमा चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। **शुल्क**: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लिए, पहली बार नामांकन शुल्क ₹250 प्रति वर्ष है, और नवीकरण की लागत ₹50 प्रति वर्ष है और गरीबी रेखा से ऊपर (ऐपीएल) के लिए, पहली बार नामांकन शुल्क ₹500 प्रति वर्ष है, और नवीनीकरण की लागत ₹250 प्रति वर्ष है। अतिरिक्त जानकारी के लिए**, www.niramayascheme.com** पर जाएं।

4. रोजगार –

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आईडी, एएसडी, एसएलडी, एमआई और बहु-दिव्यांगता के कारण दिव्यांग के लिए 1% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

दिव्यांग व्यक्ति रोजगार हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय कैरियर सेवा वेबसाइट**(www.ncs.gov.in**)एवं दक्ष पोर्टल **(https://pmdaksh.depwd.gov.in)** पर पंजीकरण करवा सकता है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सभी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण या रियायत प्रदान करते हैं।

यदि कोई कर्मचारी कार्यरत रहते हुए अक्षम हो जाता है तो उसका उसकी रैंक को कम या सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता योग्यता के आधार पर पदोन्नित से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के नियोक्ता के हिस्से का भुगतान करती है।

5. शिक्षा:

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में आईडी, एएसडी, एसएलडी, एमआई और कई दिव्यांग व्यक्तियों सहित दिव्यांग के लिए 5% आरक्षण एसएलडी वाले छात्रों के लिए परीक्षा लाभ शैक्षिक बोर्ड के आधार पर भिन्न होते हैं। इनमें अनुग्रह अंक, अमानुएन्सिस / रीडर / रीडर-कम-राइटर का उपयोग, प्रत्येक एक घंटे की परीक्षा के लिए अतिरिक्त पंद्रह मिनट और दूसरी भाषा की आवश्यकता से छूट शामिल हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा एआईसीटीई-मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम करने वाले छात्रों को "सक्षम छात्रवृत्ति योजना" की पेशकश की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या यूजीसी, दिव्यांग छात्रों को "राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप" के रूप में जानी जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वे एम.फिल और पीएचडी कर सकें।

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों को बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूत के लिए उच्च वार्षिक सीमा की अनुमति है।

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) योजना के अंतर्गत बहु-संवेदी शिक्षा किट प्रदान की जाती है जिसके लिए 40 प्रतिशत व्यय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा और 60 प्रतिशत एलिम्को, कानपुर द्वारा वहन किया जाता है।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बचपन डे केयर सेंटर, ममता स्कूल (बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए) और इंटरमीडिएट कॉलेज (कक्षा - 6 से 12 तक) एकीकृत शिक्षा (दिव्यांग छात्रों के लिए) की स्थापना की जा रही है। सरकार उच्च शिक्षा के लिए डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी चलाती है।

छह से अठारह वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद के पड़ोस के स्कूल में या विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान के तत्वावधान में सरकार विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CWSN) की पहचान करने के लिए घर-घर अभियान चलाती है।

6. आयकर रियायतें:

- आईटी अधिनियम की धारा 80यू के तहत, 40-79% ≥ दिव्यांगता वाले व्यक्ति 75,000/- रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं और 80% ≥ दिव्यांगता वाले लोग अपनी आयकर देयता की गणना करते समय अपनी वार्षिक आय से 1,25,000/- की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

• धारा 80डीडी के तहत, देखभाल करने वाले आश्रित दिव्यांग के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किए गए व्यय के लिए वार्षिक आय से ₹ 75,000 / (≥ 40-79% दिव्यांगता) और ₹ 1,25,000 / (≥ 80% दिव्यांगता) की कटौती का लाभ उठा सकते हैं या यदि राशि आश्रित दिव्यांग के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए एलआईसी या यूटीआई की नामित योजनाओं के तहत जमा या भुगतान की गई थी

• आईटी अधिनियम की धारा 64 के तहत, दिव्यांग बच्चे द्वारा उत्पन्न आय (किसी भी स्रोत से जैसे सावधि जमा, उनके नाम पर संपत्ति) को आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए माता-पिता की आय के साथ नहीं जोड़ा जाता है। बच्चा आईटी रिटर्न दाखिल करते समय धारा 80 यू के तहत लाभ का दावा कर सकता है।

• सेक्शन 80DDB के तहत, कोई व्यक्ति स्वयं या आश्रितों पर खर्च के लिए निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च के लिए कटौती का क्लेम कर सकता है

7. ऋण

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना: यह योजना आय सृजन गतिविधियों या उच्च शिक्षा को शुरू करने या बढ़ाने के लिए गीतालिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है।

8. विवाह भत्ता:

₹ 15,000/- यदि पुरुष दिव्यांग (21 से 45 वर्ष की आयु) बिना दिव्यांगता की महिला से शादी करता है

₹20000/- यदि महिला दिव्यांग (18 से 45 वर्ष की आयु) में बिना दिव्यांगता के पुरुष से विवाह करती है

पुरुष और महिला दिव्यांग के बीच विवाह के लिए ₹ 35,000 /-

दिव्यांग को **www.divyangjan.upsdc.gov.in/** पर आवेदन करने की आवश्यकता है ।

9. पेंशन हस्तांतरण:

भारत सरकार का कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पहले या बाद में किसी भी समय परिवार के स्थायी रूप से दिव्यांग आश्रित को जीवन भर के लिए पेंशन हस्तांतरित कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय; संदर्भ संख्या 1/27/2011-पी एंड पीडब्लू (ई)

10. आश्रित दिव्यांगों की देखभाल करने वालों के लिए नियमित स्थानान्तरण से छूट:

भारत सरकार का एक कर्मचारी जो दिव्यांग आश्रितों की देखभाल करने वाला भी है, को प्रशासनिक बाधाओं के अधीन स्थानांतरण/चक्रीय स्थानांतरण के नियमित **स्थानान्तरण** से छूट दी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया संख्या 42011/3/2014-स्था देखें। (आर.एस.) दिनांक 6 जून 2014.

11. दिव्यांग व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के लिए सभी जिला अदालतों में मुफ्त कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध है।

12. मानसिक विकार वाले विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत योजनाएं:

आईडी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और कई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के माता-पिता राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999) के तहत संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और कई लाभों का लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के साथ पंजीकृत संगठनों के साथ नामांकन करें: दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना), विकास (डेकेयर), समर्थ (राहत देखभाल), घरौंडा (वयस्कों के लिए समूह गृह), निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना), सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना), ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता), प्रेरणा (विपणन सहायता योजना), संभव (सहायक और सहायक उपकरण), बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक बातचीत, और नवाचार परियोजना)। अधिक जानकारी के लिए, **www.thenationaltrust.gov.in** पर जाएं

दिव्यांगता प्रमाणपत्र आपकी मदद कैसे कर सकता है?

लाभ	योजनाओं	लाभग्राही
दिव्यांगता पेंशन	रु.1000/- प्रति माह	दिव्यांग (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में निर्दिष्ट)
यात्रा लाभ	बस के गंतव्य तक मुफ्त बस यात्रा।	≥40% दिव्यांगता - दिव्यांग ≥80% दिव्यांग और साथ वाला व्यक्ति/देखभाल करने वाला
	रेल रियायतें (75% तक)	दिव्यांग (आईडी) और 1 साथ वाला व्यक्ति/देखभाल करने वाला
बीमा योजनाएं	निरामय (1 लाख प्रति वर्ष)	दिव्यांग(आई. डी.)
प्रयोग	सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल या पीएम दक्ष पोर्टल।	ID, ASD, SLD, MI, और एकाधिक अक्षमताओं के कारण PwD
पढ़ाई	सरकारी संस्थानों में 5% आरक्षण दिव्यांग के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा रियायतें	सभी दिव्यांग, जिनमें आईडी, एएसडी, एसएलडी, एमआई और एकाधिक दिव्यांगता वाले लोग शामिल हैं
आयकर छूट	धारा 80U के तहत: ₹75,000/- ≥40-79% दिव्यांगता के लिए ≥80% दिव्यांगता के लिए ₹1,25,000/-	दिव्यांग
	धारा 80DD के तहत: ₹75,000/- ≥40-79% दिव्यांगता के लिए (आश्रित दिव्यांग) ₹1,25,000/- में ≥80% दिव्यांगता के लिए (आश्रित दिव्यांग)	आश्रित दिव्यांग की देखभाल करने वाला
ऋण	दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना	दिव्यांग
विवाह भत्ता	15,000-35,000 रुपये।	दिव्यांग
PwD को पेंशन हस्तांतरण	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय संदर्भ संख्या 1/27/2011-पी एंड पीडब्लू (ई)	दिव्यांग
नियमित तबादलों से छूट	संख्या 42011/3/2014-स्था. (आर.एस.) दिनांक 6 जून 2014.	दिव्यांग के देखभाल करने वाले
मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं	सभी जिला न्यायालय	दिव्यांग
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की योजनाएं	निरामया, घरौंदा, विकास और अन्य योजनाएं	PwD राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत कवर किया गया

अभिस्वीकृति-

- मनोरोग पुनर्वास सेवाएं, मनोचिकित्सा विभाग, निमहांस, बेंगलुरु
- रिचमंड फैलोशिप सोसाइटी (इंडिया), लखनऊ शाखा।
- दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

मनोचिकित्सा विभाग, केजीएमयू

ईमेल: psychiatry@kgmcindia.edu

फोन: +91 522 2265416

अधिक जानकारी हेतु